



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 14]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 1, 2015/पौष 11, 1936

No. 14]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 1, 2015/PAUSHA 11, 1936

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 2015

आयकर

का.आ.14(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 118 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड-(ii) में प्रकाशित 31 मार्च, 2010 (संख्या 21/2010 दिनांक 31 मार्च, 2010) के का.आ. सं. 718(अ) द्वारा भारत सरकार की अधिसूचना के अतिक्रमण में, ऐसे अतिक्रमण से पूर्व किये गये अथवा किये जाने से छूट गये कार्यों के अलावा, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्वारा निर्देश देता है कि नीचे तालिका के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट आयकर प्राधिकारी उक्त अधिनियम की धारा 144ग के अन्तर्गत कार्य करने के प्रयोजनार्थ उक्त तालिका के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट आयकर प्राधिकारी के अधीनस्थ होंगे, नामतः—

तालिका

आयकर प्राधिकारी (1)	आयकर प्राधिकारी (2)
प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (अन्तरराष्ट्रीय कराधान)	विवाद समाधान पैनल-1, दिल्ली तथा विवाद समाधान पैनल-2, दिल्ली के सदस्य होते हुए आयकर आयुक्त
मुख्य आयकर आयुक्त (अन्तरराष्ट्रीय कराधान) (पश्चिम क्षेत्र), मुम्बई	विवाद समाधान पैनल-1, मुम्बई, तथा विवाद समाधान पैनल-2, मुम्बई के सदस्य होते हुए आयकर आयुक्त
मुख्य आयकर आयुक्त (अन्तरराष्ट्रीय कराधान) (दक्षिण क्षेत्र), बेंगलूरु	विवाद समाधान पैनल बेंगलूरु का सदस्य होते हुए आयकर आयुक्त

2. यह अधिसूचना 01 जनवरी, 2015 से प्रभावी होगी।

[अधिसूचना सं. 1/2015/फा.सं. 500/25/2014-का.आ./एफटी एंड टीआर-2(1)]

रजत बंसल, संयुक्त सचिव (एफटी एंड टीआर-II)